राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2768361

क्रमांक/राशिके/प्रशा./2011/701851 भोपाल, दिनांक– 14.11.11

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
बाणगंगा, भोपाल.

विषय– विज्ञापन सूचना का प्रकाशन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम,2009 का कियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। अधिनियम के तहत मार्च 2013 से पूर्व शिड्यूल मे दिये गये मापदण्ड अनुरुप अधोसंरचना सुविधाऐं एवं मानव संसाधन की वयवस्था की जानी है। अतः 27 जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालयों में एक राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी की संविदा नियुक्ति प्रबंधक जिला शिक्षा केन्द्र के रुप मे लिये जाने संबंधी विज्ञप्ति को सर्वाधिक प्रचार–प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं एक अंग्रेजी के राज्य स्तरीय समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। इस पर होने वाले व्यय का भुगतान राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

संलग्न–विज्ञापन छः प्रतियों में।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768290, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2768561

क्रमांक/राशिके/प्रशा./2011/7145 भोपाल, दिनांक- 14-11-11

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ,
अकांक्षा भवन तुलसीनगर,
भोपाल।

विषय- विज्ञापन सूचना का प्रकाशन।

विषयान्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र अन्तर्गत जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालयो में एक राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी की संविदा नियुक्ति प्रबंधक जिला शिक्षा केन्द्र के रुप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी इस संबंध में अवगत हो सके, इस उद्देश से इस विज्ञापन का आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका " अकांक्षा" में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न-विज्ञापन की प्रति।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की प्रबंधक जिला शिक्षा केन्द्र के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 का कियान्वयन सर्व शिक्षा अभियान मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। अधिनियम के तहत मार्च 2013 के पूर्व शिड्यूल में दिये गये मापदण्ड अनुरुप अधोसंरचना सुविधाएँ एवं मानव संसाधन की व्यवस्था की जानी है। वर्तमान में म. प्र. के श्योपुर, गुना, अशोकनगर, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, दमोह, पन्ना, छतरपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, मण्डला, बालाघाट, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया जिलों के जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालयों में एक राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा नियुक्ति प्रबंधक जिला शिक्षा केन्द्र के पद पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना आवेदन उस जिले के जिला शिक्षा केन्द्र में जमा करें, जिस जिले में वह पदस्थापना चाहते है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.	पद नाम	संख्या	निर्धारित योग्यताएँ एवं अर्हताएं
01.	प्रबंधक (जिला शिक्षा केन्द्र 28 जिले)	01	1. राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी। 2. आयु–सीमा दिनांक 1.1.2011 को अधिकतम 65 वर्ष । 3. शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ हो। 4. जिले में व्यापक तौर पर भ्रमण, निरीक्षण तथा मार्गदर्शन देने में सक्षम हो।

- संविदा शर्ते एवं मासिक परिलब्धियाँ:–
  1. यह पद पूर्णतः अस्थाई स्वरूप का होगा।
  2. संविदा पर नियुक्त प्रबंधकों को स्पष्ट त्रैमासिक लक्ष्य दिये जाएंगे तथा उनकी पूर्ति पर एवं जिला निर्माण समिति द्वारा कार्यमूल्यांकन के आधार पर संविदा निरंतर रखी जा सकेगी।
  3. मासिक परिलब्धियाँ सेवानिवृत्ति पर अंतिम वेतन –पेंशन अनुसार देय हेगी।
  4. टी.ए./डी.ए. का भुगतान मिशन द्वारा प्रबंधक पद हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार होगा।
  5. सर्व शिक्षा अभियान मिशन अन्तर्गत संबंधित गतिविधियों की मॉनीटरिंग हेतु मासिक आधार पर वाहन आवटित रहेगा।
- **जिला शिक्षा केन्द्रों में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 05/12/2011 नियत है।** किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा तथा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
- विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://www.educationportal.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र